



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. ए-49011/19/2025-रा.भा.

दिनांक : /5/2025

सेवा में,

बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/
चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/
अस्पताल/महाविद्यालय/स्ना.आ.अ. संस्थान(पीजीआईएमएसआर)
निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर
कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

विषय: तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मे में किए गए संशोधन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 20003/01/2024-रा.भा.(का.2) दिनांक 19.03.2025 (संलग्न) का संदर्भ लें जिसके माध्यम से हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में संशोधन करते हुए तीन प्रकार की तिमाही रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि निगम इकाइयों द्वारा केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि की श्रेणी में आने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट ही भरी जाए।

अतः निवेदन है कि सभी निगम इकाइयाँ तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपर्युक्त संशोधित प्रोफार्मे के अनुसार ही भरना सुनिश्चित करें। संशोधित प्रोफार्मा 01 अप्रैल, 2025 अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

प्रतिलिपि,

- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।